

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म0प्र0)

-:- आदेश -:-

क्रमांक-595/तीन-13-21/23

सागर, दिनांक-22/06/2023

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक बी/934 दिनांक 08.02.2023 के संलग्न म0प्र0 राजपत्र (भाग-04) भोपाल दिनांक 03.02.2023 की कंडिका 10 के आलोक में म.प्र. न्यायिक सेवायें (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के अंतर्गत इस स्थापना पर पदस्थ निम्न न्यायिक अधिकारी को पुनरीक्षित वेतन निर्धारण के फलस्वरूप निम्नानुसार कुल ऐरियर्स राशि स्वीकृत की जाकर उसमें से प्रथम किशत 25 प्रतिशत की राशि में से 30 प्रतिशत आयकर कटौती उपरांत संबंधित न्यायिक अधिकारीगण को भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क.	यूनिक एम्प. कोड	अधिकारी का नाम	आदेश व दिनांक	अवधि	कुल ऐरियर्स की राशि	प्रथम किस्त (25 प्र.)	आयकर (30 प्र.)	भुगतान योग्य राशि
1	330032524	श्री महेश कुमार झा द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवरी	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय का आदेश क्रमांक 599 दिनांक 20.03.2023 एवं सत्र जबलपुर का आदेश क्रमांक ए/1817 दिनांक 12.04.2023	01/01/16 से 31/03/23	13,60,474	3,40,119	1,02,036	2,38,083

टीप-अधिक भुगतान होने की स्थिति में वसूली योग्य राशि संबंधित के वेतन से वसूली की जावेगी एवं राशि अन्य किशतों में समायोजित की जा सकेगी।

-Sd-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर

पृ0 क्रमांक-2973/तीन-13-21/23

सागर, दिनांक-22/06/2023

प्रतिलिपि:-

1. श्री महेश कुमार झा द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला कोषालय अधिकारी सागर
3. वेतन लिपिक/लेखापाल कार्यालय अनुभाग सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की ओर संबंधित न्यायिक अधिकारी को ईमेल के माध्यम से सूचनार्थ भिजवाये जाने बावत् प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
Principal District & Session Judge
SAGAR (M. P.)